संख्या- 379 / 2024 / 3461 /चार-2024- 1869005

प्रेषक,

रघुनाथ प्रसाद वर्मा,
अनु सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

निदेशक,
उ0प्र0 संग्रहालय निदेशालय,
लखनऊ ।

संस्कृति अनुभाग: लखनऊ : दिनांक 19 नवम्बर, 2024

विषय:- जनपद-बलरामपुर के इमिलिया कोडर में थारू जानजाति संस्कृति संग्रहालय के संचालन, प्रबन्धन एवं रख-रखाव हेतु अनुदान/ स्वीकृति के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक आपके पत्र संख्या- 768/उ0प्र0सं0नि0-5(49)/2017-18 दिनांक 16 नवम्बर, 2024 तथा पत्र संख्या -766/उ0प्र0सं0नि0- 5(49) / 2017-18- III दिनांक 14 नवम्बर, 2024 के संबंध में अवगत कराना है कि संस्कृति विभाग, उ०प्र० शासन एवं दीनदयाल शोध संस्थान, नई दिल्ली के मध्य थारू जनजाति संस्कृति संग्रहालय, इमिलिया कोडर, जनपद-बलरामपुर के संचालन, प्रबन्धन एवं रख-रखाव हेतु मेमोरेण्डम ऑफ अण्डरस्टैंडिंग (एम०ओ०यू०) दिनांक 04 सितम्बर, 2023 को निष्पादित किया गया है।

2. उपर्युक्त के संबंध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि थारू जनजाति संस्कृति संग्रहालय, इमिलिया कोडर, जनपद-बलरामपुर के संचालन, प्रबन्धन एवं रख-रखाव हेतु दीन दयाल शोध संस्थान, नई दिल्ली को सहायता अनुदान के रूप में चालू वित्तीय वर्ष 2024-25 में रू0 10.00 लाख (रूपये दस लाख मात्र) की प्रशासकीय एवं वित्तीय स्वीकृति निर्गत करते हुए धनराशि अवमुक्त करने की अनुमति निम्नलिखित शर्तों/ प्रतिबन्धों के अधीन श्री राज्यपाल सहर्ष प्रदान करते है:-

नियम व शर्तें / प्रतिबन्ध

1. थारू जनजाति संस्कृति संग्रहालय, इमिलिया कोडर, जनपद-बलरामपुर के संचालन, प्रबन्धन एवं रख-रखाव हेतु संस्कृति विभाग, उ०प्र० शासन एवं दीनदयाल शोध संस्थान, नई दिल्ली के मध्य निष्पादित मेमोरेण्डम ऑफ अण्डरस्टैंडिंग (एम०ओ०यू०) दिनांक 04 सितम्बर, 2023 में उल्लिखित शर्तों का अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।
2. वित्तीय नियमों का अनुपालन सुनिश्चित करते हुए ही धनराशि व्यय की जायेगी। तदोपरान्त मांग के सापेक्ष व्यय का विवरण प्राप्त करके औचित्य का परीक्षण कर तथ्यपरख प्रस्ताव उपलब्ध कराया जायेगा।
3. स्वीकृत धनराशि का व्यय केवल अनुमोदित मद/योजनाओं पर किया जायेगा।
4. स्वीकृत धनराशि कोषागार से एकमुश्त आहरित करने के बजाय आवश्यकतानुसार व्यय की सीमा तक ही आहरित की जायेगी।
5. वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1 के कार्यालय ज्ञाप संख्या- 1/2024/बी-1-294/दस-2024-231/2024 दिनांक 04 मार्च, 2024 में उल्लिखित दिशा-निर्देशों का पूर्ण अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।
6. प्रश्नगत स्वीकृति उ0प्र0 संग्रहालय निदेशालय, लखनऊ द्वारा उपलब्ध करायी गयी सूचना के आधार पर दी जा रही है यदि बजट के सबंध में कोई सूचना गलत पायी जाती है तो इसका उत्तरदायित्व उ0प्र0 संग्रहालय निदेशालय, लखनऊ का होगा।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट https://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

7. यह भी सुनिश्चित कर लिया जाय कि इन धनराशियों का प्रदेशन ही अकेले किसी प्रकार के व्यय करने का अधिकार नहीं देता, व्यय करने के लिए बजट मैनुअल और वित्तीय हस्तपुस्तिका के सुसंगत नियमों अथवा अन्य स्थाई आदेशों से शासकीय अथवा अन्य सक्षम प्राधिकारी की, जहॉ आवश्यकता हो, व्यय करने के पूर्व स्वीकृति प्राप्त कर ली जाय। उपर्युक्त स्वीकृति धनराशि के सम्बन्ध में वित्त विभाग के मितव्ययता सम्बन्धी आदेशों तथा व्यय पर नियंत्रण के सम्बन्ध में निर्गत शासनादेश का भी अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।
8. वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1 के कार्यालय ज्ञाप संख्या- 1/2024/बी-1-294/दस-2024-231/2024 दिनांक 04 मार्च, 2024 एवं वित्तीय हस्तपुस्तिका खण्ड-5 भाग-1 के नियमों व इस सम्बन्ध में समय-समय पर जारी शासनादेशों में दिये गये दिशा निर्देशों का कड़ाई से अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा। इसके साथ-साथ राजकीय धन व्यय करने में उ0प्र0 बजट मैनुअल के प्रस्तर-12 में दी गई शर्तो की पूर्ति तथा वित्तीय औचित्य के मानकों (स्टैण्डडर्स आफ फाइनेंशियल प्रोप्राइटरी) का अनुपालन भी सुनिश्चित किया जाएगा।
9. थारू जनजाति संस्कृति संग्रहालय, इमिलिया कोडर, जनपद-बलरामपुर के संचालन, प्रबन्धन एवं रख-रखाव हेतु स्वीकृत /अवमुक्त अनुदान की धनराशि से सम्बन्धित स्थानीय लेखा परीक्षा/आडिट रिपोर्ट शासन को उपलब्ध कराया जाना सुनिश्चित किया जायेगा।

3. इस संबंध में होने वाला व्यय रुपये 10,00,000/- (रुपये दस लाख मात्र) को चालू वित्तीय वर्ष 2024-25 के आय-व्ययक के अनुदान संख्या- 92 के अन्तर्गत लेखाशीर्षक ''2205-कला एवं संस्कृति-107-संग्रहालय-03-अधिष्ठान-42-अन्य व्यय'' (उ0प्र0 संग्रहालय निदेशालय लखनऊ) मद से वहन किया जायेगा।

4. यह आदेश वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1 के कार्यालय ज्ञाप संख्या-1/2024/बी-1-294/दस-2024-231/2024 दिनांक 04 मार्च, 2024 में प्राप्त दिशा निर्देशों के अन्तर्गत प्रतिनिधानित अधिकारों के अन्तर्गत निर्गत किये जा रहे है।

भवदीय,
रघुनाथ प्रसाद वर्मा
अनु सचिव।

संख्या- 379 /2024/ 3461 (1) /चार-2024-1869005 तद्दिनांक।

प्रतिलिपि: निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1- महालेखाकार (लेखा व हकदारी) प्रथम/द्वितीय, उ0प्र0, प्रयागराज।
2- महालेखाकार (लेखा - परीक्षा) प्रथम/द्वितीय, उ0प्र0, प्रयागराज।
3- जिलाधिकारी, बलरामपुर।
4- निदेशक, स्थानीय निधि लेखा परीक्षा विभाग, उ0प्र0 प्रयागराज।
5- निदेशक, संस्कृति निदेशालय, उ0प्र0 जवाहर भवन, लखनऊ।
6- वित्त एवं लेखाधिकारी, उ0प्र0 संग्रहालय निदेशालय, लखनऊ।
7- आहरण एवं वितरण अधिकारी- संग्रहालयाध्यक्ष, लोक कला संग्रहालय, लखनऊ।
8- मुख्य कोषाधिकारी, कोषागार, जवाहर भवन, लखनऊ।
9- प्रधान सचिव, दीन दयाल शोध संस्थान, नई दिल्ली ।
10- वित्त व्यय नियंत्रण अनुभाग-7/वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1/नियोजन अनुभाग-4, उ0प्र0 शासन।
11- गार्ड फाइल।

आज्ञा से,
रघुनाथ प्रसाद वर्मा
अनु सचिव।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट https://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।